भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1022

उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026

एमएसएमई संबंधी विनियमन

1022. श्री केसिनेनी शिवनाथ :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विनियामक आवश्यकताओं, कराधान, गुणवत्ता मानकों और रिपोर्टिंग बाध्यताओं के कारण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सामने आने वाली अनुपालन लागतों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन या आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अध्ययनों के संबंध में ब्यौरे सहित तत्संबंधी प्रमुख निष्कर्ष और उनके क्षेत्रवार प्रभाव क्या हैं;

(ग) एमएसएमई पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए डिजिटलीकरण उपाय और विनियामक सरलीकरण पहल सहित सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत समर्थित इन्क्यूबेटरों की संख्या सहित सरकारी नेतृत्व वाले इन्क्यूबेटरों के माध्यम से एमएसएमई को प्रदान की गई इन्क्यूबेशन और मेंटरिंग सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में पंजीकृत आईटी-आधारित एमएसएमई की राज्यवार संख्या, और ऐसे उद्यमों का समर्थन करने वाले निजी और सरकारी नेतृत्व वाले इन्क्यूबेटरों की संख्या सहित उन्हें प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ग): भारत सरकार ने एमएसएमई पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए डिजिटलीकरण उपायों और नियामक सरलीकरण पहलों सहित कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

i. एमएसएमई के लिए पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की थी। उद्यम पर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन, कागज-रहित और स्व-घोषणा के आधारित है। मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इससे पंजीकृत आईएमई को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ii. एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 से संबंधित व्यवसाय के साथ-साथ नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करते हुए इस मंत्रालय की दिनांक 11 अगस्त, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3237 (अ) द्वारा संबंधित 04 अनुपालनों को एक साथ मिलाकर अनुपालनों की संख्या 07 से घटाकर 04 कर दिया है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमों (सीपीएसई) को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को विकसित करने पर केंद्रित वेंडर विकास कार्यक्रम या क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करके उपयुक्त विक्रेताओं को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

iii. जैसाकि डीपीआईआईटी द्वारा सूचित किया गया है, राष्ट्रीय एकल खिड़की तंत्र विकसित किया गया है, जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की मौजूदा क्लीयरेंस/नियामक तंत्र को एकीकृत करेगा।

iv. जैसाकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क, राजस्व विभाग द्वारा सूचित किया गया है सरकार ने देश में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहलें/नीतिगत उपाय किए हैं। 40 लाख रुपए तक की वस्तुओं की आपूर्ति और 20 लाख रुपए तक की सेवाओं की आपूर्ति के लिए जीएसटी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, वस्तुओं/ रेस्तरां सेवाओं और सेवा प्रदाताओं के लिए कंपोजिशन स्कीम, तिमाही रिटर्न मासिक भुगतान स्कीम आदि।

(घ) और (ड.): एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के तहत एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम का कार्यान्वयन करता है जो इन्क्यूबेशन, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के घटकों का एक मिश्रण है। स्कीम के इन्क्यूबेशन घटक का उद्देश्य एमएसएमई में नवीनतम तकनीकों को अपनाने और अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना और सहायता प्रदान करना है जो 'प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट स्तर' पर अपने विचारों की पुष्टि चाहते हैं। विभिन्न केंद्रीय स्कीमों के तहत समर्थित इनक्यूबेटरों की संख्या सहित, सरकार के नेतृत्व वाले इनक्यूबेटरों के माध्यम से एमएसएमई को प्रदान किए गए इनक्यूबेशन और मार्गदर्शन सहायता के संबंध में राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालय और विभाग स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस), टैक्नालॉजी इनक्यूबेशन और डेवलेपमेंट ऑफ एंटरप्रिन्यौर (टीआईडीईई 2.0), डोमेन स्पेसेफिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (सीओई), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एग्रीबिसनेस इनक्यूबेटर्स (आर-एबीआईएस), निधि टैक्नालॉजी बिसनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई), अटल इनक्यूबेशन सेंटर (एआईसी), सॉफ्टवेयर टैक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई), एस्पायर के तहत लिविलिहुड बिसनेस इनक्यूबेटर्स (एलबीआई) और अन्य में बॉयोटैक्नालॉजी इंडस्ट्री असिस्टेंस काउंसिल (बीआईआरएसी) समर्थित इनक्यूबेटर्स जैसी पहलों के माध्यम से देश में इनक्यूबेशन सेंटर्स के विकास का संवर्धन कर रहे हैं।

आईटी-आधारित एमएसएमई सहित दिनांक 31.01.2026 तक देश में पंजीकृत एमएसएमई की राज्य-वार संख्या अनुबंध-II पर दी गई है।

*****

अनुबंध-I

इसकी शुरुआत से आज की तारीख तक स्कीम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमोदित मेजबान संस्थान (एचआई) की संख्या, सहायता प्राप्त एचआई की राज्य-वार संख्या, अनुमोदित आईडिया की राज्य-वार संख्या नीचे सारणीबद्ध है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित एचआई की राज्य-वार संख्या	सहायता प्राप्त एचआई की राज्य-वार संख्या	अनुमोदित आइडिया की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	74	36	129
2	अरूणाचल प्रदेश	2	1	3
3	असम	6	3	6
4	बिहार	11	6	14
5	चंडीगढ़	1	1	7
6	छत्तीसगढ़	16	6	13
7	दिल्ली	10	4	16
8	गोवा	1	1	3
9	गुजरात	33	15	45
10	हरियाणा	12	6	13
11	हिमाचल प्रदेश	5	2	2
12	जम्मू औ कश्मीर	3	2	4
13	झारखंड	7	4	11
14	कर्नाटक	60	32	98
15	केरल	31	12	31
16	मध्य प्रदेश	45	11	22
17	महाराष्ट्र	69	37	87
18	मेघालय	3	2	4
19	ओडिशा	24	13	47
20	पुडुचेरी	2	2	3
21	पंजाब	14	4	15
22	राजस्थान	31	14	39
23	सिक्किम	1	0	0
24	तमिलनाडु	179	113	508
25	तेलंगाना	68	43	162
26	त्रिपुरा	2	1	1
27	उत्तर प्रदेश	32	19	67
28	उत्तराखंड	10	6	11
29	पश्चिम बंगाल	21	14	57
	सकल योग	**773**	**410**	**1418**

दिनांक 01/07/2020 से 31/01/2026 तक उद्यम और यूएपी के तहत उद्यमों का राज्य-वार विवरण														
क्र. सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	महिला	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	विनिर्माण	सेवा	ट्रेडिंग	रोजगार
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21,645	156	4	21,805	6,313	16,325	332	262	4,882	4,023	10,101	7,681	369,410
2	आंध्र प्रदेश	3,800,597	16,986	982	3,818,565	2,081,614	1,791,265	442,295	80,726	1,503,898	768,411	1,708,791	1,341,363	19,605,054
3	अरुणाचल प्रदेश	46,678	379	19	47,076	21,177	9,050	838	35,175	2,010	13,977	10,510	22,589	272,578
4	असम	1,450,337	6,695	519	1,457,551	523,300	877,486	126,280	134,998	318,668	417,995	374,559	664,997	9,904,891
5	बिहार	4,126,666	11,974	583	4,139,223	1,915,215	1,637,648	370,934	79,473	2,050,787	740,409	1,234,696	2,164,118	16,743,707
6	चंडीगढ़	77,515	1,263	132	78,910	20,297	64,268	8,676	441	5,474	11,226	35,083	32,601	430,835
7	छत्तीसगढ़	1,304,567	8,344	720	1,313,631	560,675	525,046	133,029	127,467	527,985	234,779	423,832	655,020	4,378,337
8	दिल्ली	1,387,179	28,418	2,751	1,418,348	377,949	1,154,839	102,130	8,009	152,315	314,475	491,168	612,705	8,870,375
9	गोवा	126,553	1,121	77	127,751	49,345	102,199	2,633	5,257	17,631	26,697	63,404	37,650	485,494
10	गुजरात	4,207,089	54,125	4,225	4,265,439	1,152,020	2,753,039	240,547	198,430	1,072,447	1,148,434	1,346,814	1,770,191	16,679,892
11	हरियाणा	1,929,969	23,022	1,763	1,954,754	542,922	1,205,443	284,772	11,355	452,711	393,185	713,169	848,400	9,397,933
12	हिमाचल प्रदेश	332,203	2,572	209	334,984	76,972	229,526	62,336	13,991	29,065	63,605	121,332	150,047	1,431,323
13	जम्मू और कश्मीर	815,822	3,220	215	819,257	193,571	687,375	55,453	32,459	43,912	262,796	266,470	289,991	3,223,053
14	झारखंड	1,510,829	5,904	356	1,517,089	701,770	704,364	111,225	96,052	605,256	229,532	487,429	800,128	6,120,597
15	कर्नाटक	4,840,286	31,489	2,293	4,874,068	2,128,934	2,465,353	519,710	202,756	1,685,221	1,059,260	2,337,359	1,477,449	26,321,956
16	केरल	1,787,781	12,923	768	1,801,472	832,056	946,936	83,074	8,558	762,493	468,497	780,220	552,755	6,216,724
17	लद्दाख	19,745	114	3	19,862	6,101	1,728	158	17,869	107	6,872	7,042	5,948	58,134
18	लक्षद्वीप	2,431	-	-	2,431	579	55	7	2,288	81	763	856	812	7,384
19	मध्य प्रदेश	4,673,947	19,811	1,179	4,694,937	1,648,570	1,585,857	616,055	320,906	2,171,746	792,141	1,316,509	2,586,287	15,185,492
20	महाराष्ट्र	9,815,933	74,542	6,893	9,897,368	3,522,246	6,468,329	912,939	262,144	2,251,906	2,042,677	3,809,646	4,045,045	33,660,613
21	मणिपुर	172,958	424	18	173,400	96,884	95,078	10,429	29,319	38,529	74,995	49,058	49,347	840,443
22	मेघालय	70,438	412	32	70,882	35,577	14,787	1,263	53,662	1,165	15,718	24,008	31,156	384,421
23	मिजोरम	50,709	212	9	50,930	29,896	3,193	283	47,342	109	10,589	11,527	28,814	267,777
24	नागालैंड	72,503	176	16	72,695	37,422	13,387	1,013	56,762	1,524	19,413	19,010	34,272	307,022

25	ओडिशा	2,341,171	10,022	607	2,351,800	1,029,723	1,251,751	292,248	131,091	676,488	493,593	752,267	1,105,940	11,432,359
26	पुडुचेरी	105,645	666	59	106,370	51,815	53,399	6,249	288	46,406	20,642	50,698	35,030	427,534
27	पंजाब	2,066,029	16,914	1,226	2,084,169	648,281	1,484,148	397,756	6,382	195,527	450,114	758,041	876,014	9,200,524
28	राजस्थान	4,289,863	27,205	1,659	4,318,727	1,062,751	1,486,996	541,137	254,768	2,035,095	1,183,324	1,363,209	1,772,194	18,736,751
29	सिक्किम	35,079	164	13	35,256	18,233	13,294	2,402	9,425	10,134	8,591	12,835	13,830	142,336
30	तमिलनाडु	6,008,953	39,259	2,822	6,051,034	2,676,776	3,936,020	416,827	27,626	1,669,105	1,501,993	2,688,018	1,861,023	31,443,163
31	तेलंगाना	3,702,077	20,182	1,783	3,724,042	2,042,557	1,419,135	455,631	238,823	1,609,835	511,023	1,670,621	1,542,398	20,436,757
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	33,931	916	135	34,982	8,856	25,588	1,063	2,977	5,339	7,785	13,532	13,665	292,764
33	त्रिपुरा	308,198	701	47	308,946	198,289	135,858	65,163	46,529	61,388	54,847	95,606	158,493	1,254,789
34	उत्तर प्रदेश	8,267,274	40,249	2,648	8,310,171	2,558,494	3,441,294	1,068,831	70,016	3,728,843	1,634,621	2,264,645	4,410,905	36,414,370
35	उत्तराखंड	624,035	4,040	273	628,348	190,885	399,806	70,557	10,846	147,019	108,037	211,653	308,658	2,742,055
36	पश्चिम बंगाल	5,159,958	24,088	1,778	5,185,824	2,982,691	4,172,710	627,625	59,158	325,758	861,910	1,750,882	2,573,032	21,560,709
	कुल:-	75,586,593	488,688	36,816	76,112,097	30,030,756	41,172,575	8,031,900	2,683,630	24,210,859	15,956,949	27,274,600	32,880,548	335,247,556
रिपोर्ट की तारीख: 03/02/2026 अपराह्न 12:20 बजे														